



प्रेस विज्ञप्ति

29-09-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कंगन, जिला: गंदेरबल, जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। ये तलाशी अभियान 24/09/2025 को जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के एक बैंक कर्मचारी शाहनवाज अहमद शाह और अन्य द्वारा साइबर धोखाधड़ी के मामले में किए गए थे।

ईडी ने जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 318(4) (आईपीसी, 1860 की धारा 420 के समरूप सामग्री) के तहत अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो एक फिरदौस अहमद डार द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर थी, जिसने आरोप लगाया था कि शाहनवाज अहमद शाह, जेएंडके बैंक कंगन और आमिर बशीर में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर ने उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग @RSN के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करने वाली वित्तीय योजना में निवेश करने के लिए धोखा दिया। डार ने शाह के साथ अपनी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी साझा की, जिसने फिर संदिग्ध लेनदेन के लिए अपने खाते का इस्तेमाल किया। शाह ने कथित तौर पर डार को अपने पिता गुलाम नबी शाह के खाते में 5 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया, तत्काल रिटर्न का वादा किया, लेकिन देने में विफल रहा। यह भी पता चला कि इस धोखाधड़ी की गतिविधि में, शाह की बहन, रुमैसा और उनके मंगेतर, डॉ आमिर भी स्थानीय लोगों को गारंटीड रिटर्न के वादे के साथ लुभाने में शामिल थे। उन पर इस अवैध गतिविधि से करोड़ों रुपये कमाने का आरोप है।

ईसीआईआर दर्ज करने के बाद, ईडी ने उपरोक्त व्यक्तियों के बैंक खातों की जाँच की, जिसमें कुल 53 करोड़ रुपये जमा होने का पता चला, हालाँकि उन खातों में कोई बड़ी राशि नहीं बची थी। इसलिए, अपराध के आगम का पता लगाने के लिए, ईडी ने तलाशी ली और बिनेंस के साथ कुछ यूएसडीटी ट्रेडिंग खातों, अचल और चल संपत्तियों से संबंधित जानकारी और दस्तावेज़ बरामद किए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किए जाने का संदेह है।

आगे की जाँच जारी है।